न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज.

पीठासीन अधिकारी कैलाश चन्द गुर्जर

प्रा0प0 सं0 : 60/22

1:– सुरेश रोहलन पिता घीसालाल जी बलाई निवासी रावतभाटा तह0 रावतभाटा

.......प्रार्थी

– बनाम –

1:– श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

2:– श्रीमान क्षैत्रिय वन अधिकारी वन विभाग बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

.......विपक्षीगण

उपस्थित :: आई एम अजमेरी
अधिवक्ता प्रार्थी
पेरोकार सरकार तहसीलदार
अधिवक्ता विपक्षीगण

ओदश दिनांक : 17/11/2022

आदेश प्रा0प0 अ0धा0 136 एल आर एक्ट

प्रा0प0 अ0धा0 136 राज0का0अधि0 के तहत वकील श्री आई एम अजमेरी द्वारा प्रस्तुत निवेदन इस प्रकार से किया है कि–

प्रार्थी की खातेदार एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा ग्राम भंवरियाकलां प0ह0 ठुकराई तह0 बेगूँ में खाता सं0 159 आराजी सं0 153/3 रकबा 1.076 है0 स्थित है।

यह कि भूमि का मूल आवंटन भवानीलाल पिता मोतीलाल नायक के नाम हुआ था और इसके पश्चात भवानीलाल ने भूमि प्रहलाद पिता बरदीचंद खटीक को विक्रय कर दी एवं प्रहलाद खटीक ने इस भूमि को मुझ प्रार्थी सुरेश रोहलन को विक्रय कर दी।

यह कि उक्त आराजी सं0 153/3 जिसका आवंटन हुआ है उसका मूल आवंटी भवानीलाल नायक को आराजी सं0 300/147 के पूर्व दिशा में कब्जा दिया गया और उसी भूमि पर भवानीलाल काबिज होकर काबिल काश्त की और आराजी सं0 300/147 के पड़ोस की भूमि की चारदीवारी कर काश्त कर रहा था और उक्त भूमि आराजी सं0 303/157 के उत्तर दिशा में स्थित है जहां मूल आवंटी को कब्जा दिया गया था।

यह कि मूल आवंटी भवानीलाल नायक ने क्रेता प्रहलाद खटीक को इसी स्थान पर कब्जा दिया था और प्रहलाद खटीक ने भी आराजी सं0 303/157 के उत्तर दिशा और 300/147 के पूर्व दिशा में कब्जा प्राप्त किया था तत्पश्चात प्रहलाद खटीक ने उक्त भूमि को प्रार्थी सुरेश रोहलन को विक्रय कर दी और कब्जा सुरेश रोहलन को सुपुर्द कर दिया। वर्तमान में सुरेश रोहलन भी आराजी सं0 303/157 के उत्तर दिशा और आराजी सं0 300/147 के पूर्व दिशा में काबिज होकर भूमि के चारो तरफ पत्थरों की कच्ची कोट करके काश्त कर रहा है।

यह कि आराजी सं0 153/3 सहवन से राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से जहां मूल आवंटी को कब्जा दिया [illegible] थी उसी पर आराजी सं0 153/3 को नक्शे में तरमीम कर दिया गया जो गलत है क्योंकि आराजी सं0 [illegible] आवंटन के समय से ही निरंतर आराजी सं0 303/157 के उत्तर में एवं 300/147 के पूर्व [illegible] आ रहे है।

यह कि उक्त वर्णित [illegible] 3 से निकले है और आवंटित हुए है और 3 नं0 से ही अलग–अलग न0 [illegible] है जिसमें से आराजी [illegible] 153/3 का गलत तरमीम हो गया है जिसे सही एवं सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। नजरी [illegible] साथ संलग्न है।

यह कि प्रार्थी आराजी सं0 153/3 का जो रकबा 1.076 है0 है उसमें 1 इंच भूमि भी अधिक नहीं चाहता है और सिर्फ जो गलत न0 तरमीम हो गया है उसे सही स्थान पर तरमीम करवाना चाहता है। भूमि के पास बिलानाम भूमि एवं वन विभाग की भूमि होने से वन विभाग एवं तहसीलदार बेगूँ को पक्षकार बनाया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर आराजी सं0 153/3 रकबा 1.076 है0 की [illegible] मौके के कब्जे अनुसार किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:48:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पंत्र अ0धा0 136 एल आर एक्ट दर्ज रजिस्टर [illegible] सम्मन से तलब किये जाने पर विपक्षी सं0 1 व 2 ने उपस्थित होकर जवाब प्रा0प0 इस प्रकार से प्रस्तुत किया है।

विपक्षी सं0 1 के द्वारा इकबालिया जवाब के साथ मौका व पर्चा रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

विपक्षी सं0 1 के द्वारा प्रस्तुत मौका व पर्चा रिपोर्ट निम्न प्रकार से पेश है–

यह कि मौजा भंवरियाकलां की आराजी सं0 153/3 रकबा 1.076 है0 किस्म बंजड़ प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। भूमि का मौका बसामलात भू0अभि0नि0 ठुकराई वनपाल नाका 9 बेगूँ तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी के साथ व उपस्थित मौतबिरान के समक्ष देखा गया, पर्चा मौका में अंकित नजरी नक्शा अनुसार वर्तमान नक्शा लट्ठा में हो रही तरमीम एवं मौके पर प्रार्थी के कब्जे को स्पष्ट दर्शाया गया है। जिस स्थान पर नक्शा लट्ठा में तरमीम हो रही है उस स्थान पर प्रार्थी का आज दिनांक तक कब्जा नहीं होकर उसी मूल आराजी में आराजी सं0 300/147, 302/157, 303/157, 326/157, 157/3 की सीमाओं से लगता हुआ नजरी नक्शें दर्शाया अनुसार है जो पूर्व में हो रही तरमीम के लगभग 150 मीटर की दूरी पर है। वर्तमान नक्शा लट्ठा में हो रही आराजी सं0 153/3 रकबा 1.076 है0 की तरमीम मौके पर नजरी नक्शें में दर्शाये गये कब्जे अनुसार कराना चाहता है जिससे रकबे में किसी प्रकार की कोई कमी अधिकता नहीं होती है।

विपक्षी सं0 2 ने अपना जवाब निम्न प्रकार से प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि–

मूल आराजी 3 वर्तमान में वन विभाग के नाम दर्ज है राजस्थान वन अधिनियम की धारा 20 के अधीन राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व विभाग की विज्ञप्ति सं0 डी 2024 एफ 15 (2) 7058 दिनांक 26.02.1958 एवं अंतिम विज्ञप्ति 1(6)26/राज./दिनांक 01.06.1974 द्वारा वन मण्डल चित्तौड़गढ़ के वनखण्ड मारणा को राजस्थान वन अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत रक्षित वन घोषित की प्रारंभिक विज्ञप्ति जारी की गयी जिसमें वनखण्ड मारणा के भंवरियाकलां में कुल 3628 बीघा 58 बिसवा भूमि को रखा गया। उक्त प्रारंभिक विज्ञप्ति में भंवरियाकलां के खसरा न0 3 कुल रकबा 621 बीघा 15 बिसवा को वनखण्ड मारणा का भाग रखा गया।

(5) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अंतर्गत वनों के अपारक्षण या वन भूमि के वनेतर प्रयोजन के लिये उपयोग पर निर्बन्धन

किसी राज्य में तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी यह निर्देश करने वाला कोई आदेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं देगा।

(1) कि कोई आरक्षित वन (उस राज्य में तत्समय प्रवृत किसी विधि में "आरक्षित वन" पद के अर्थ में) या उसका कोई प्रभाग आरक्षित नहीं रह जाएगा।

(2) कि किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग को किसी वनेतर प्रयोजन के लिये उपयोग में जाया जावे।

(3) कि कोई वन भूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टें पर या अन्यथा किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, अभिकरण या किसी अन्य संगठन को, जो सरकार के स्वामित्व, प्रबन्ध या नियंत्रण के अधीन नहीं है, समनुदेशित किया जावे।

(4) किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग से, पुनर्वनरोपण के लिये उसका उपयोग करने के प्रयोजन के लिये, उन वृक्षों को, जो उस भूमि या प्रभाग में प्राकृतिक रूप से उग आये है, काट कर साफ किया जावे।

इस धारा के प्रयोजन के लिये "वनेतर प्रयोजन" से :–

(क) चाय, कॉफी, मसाले, रबड़, [illegible] पौधें, उद्यान– कृषि फसलों या औषधीय पौधों की खेती के लिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:48:13 IST
Reason: SelfAttested

(ख) पुनर्वनरोपण [illegible] किसी प्रयो[illegible] के लिये किसी वन भूमि या उसके प्रभाग को तोड़ना या काट कर साफ कर [illegible] [illegible]र्गत वनों और वन्य–जीवों कें संरक्षण, विकास और प्रबंध से संबंधित या उनसे आनु[illegible]क कोई कार्य अर्थात चौकियों, अग्नि लाईनों, बेतार संचारों की स्थापना और बाड़, पुलों और पुलियों, बांधों, जलछिद्रों, खाई चिह्नों, सीमा चिह्नों, पाइप लाईनों का निर्माण या अन्य वैसे ही प्रयोजन नहीं है।

यह कि मूल आराजी नं0 3 वन भूमि है तथा वन भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय वन अधिकारी, बेगूँ में निहित नहीं है।

श्रीमान से प्रार्थना है कि वनखण्ड मारणा के भंवरियाकलां में कुल 3628 बीघा 58 बिसवा भूमि को रखा गया। उक्त राजस्थान सरकार के वनखण्ड विज्ञप्ति में भंवरियाकलां के खसरा नं0 3 [illegible] गया है जिसमें एवं वर्तमान में

वन विभाग के नाम दर्ज भूमि खसरा नं0 3 के रकबा में किसी प्रकार की कमी नहीं हो ऐसा आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण में प्रार्थना पत्र का जवाब विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत होने के उपरान्त प्रार्थी सुरेश रोलन के बयान कलमबद्ध कराये जिन्होने अपने बयानों निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी का कब्जा आराजी नम्बर 303/157 के उत्तर में एवं आराजी नम्बर 300/147 के पूर्व में स्थित वहीं मेरी आराजी की कब्जानुसार तरमीम फरमाई जावें। प्रार्थी के बयानों पर विपक्षीगण की ओर से कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया जिससे विपक्षीगण की जिरह निल रही है।

प्रकरण में विपक्षीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। पत्रावली में प्रार्थी के बयान पूर्ण होने के उपरान्त हमारे द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर.एक्ट पर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई , बहस के दौरान विपक्षीगण में तहसीलदार भूमिधारी उपस्थित रहे । बहस मे अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना गया जिन्होने अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए प्रार्थी के कब्जे वाली आराजी पर सही तरमीम किये जाने का निवेदन किया है । विपक्षी पैरोकार सरकार तहसीलदार द्वारा अपनी बहस में पर्चामौका अनुसार सही स्थित होना दर्शाया है।

हमारे द्वारा बहस उभयपक्ष की सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी में प्रार्थी के खातेदारी की आराजी संख्या 153/3 रकबा 1.0760 हैक्टर बंजड भूमि अंकित है। साथ ही हमारे द्वारा पत्रावली तहसीलदार बेगूँ की ओर से प्रस्तुत पर्चामौका का अवलोकन किया जाने पर पाया कि प्रार्थी सुरेश रोलन का कब्जा आराजी संख्या 303/157 के उत्तर में एवं आराजी नम्बर 300/147 के पूर्व में स्थित है। प्रस्तुत सभी दस्तावेज के अवलोकन से पाया कि आवंटन वाली भूमि का मूल आराजी नम्बर 3 है, जिसके बटानम्बर डालते हुए प्रार्थी के खातेदारी की आराजी संख्या 153/3 रही है। चूँकि प्रार्थी का कब्जा काश्त मूल आराजी नम्बर 3 से बने हुए नवीन आराजी संख्या 303/157 के उत्तर में एवं आराजी नम्बर 300/147 के पूर्व स्थित है जिसके कब्जानुसार शुद्ध किया जाता है तो वन विभाग की भूमि का रकबा कम नहीं होगा। जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल0आर0एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बेगूँ को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थी सुरेश रोहलन पिता घीसालाल बलाई निवासी रावतभाटा के कब्जा काश्त की भूमि मौजा भंवरिया कलां प0ह0 ठुकराई की आराजी संख्या 153/3 रकबा 1.076 हैक्टर जो कि आराजी संख्या 303/157 के उत्तर में एवं आराजी नम्बर 300/147 के पूर्व स्थित है प्रार्थी की इस आराजी संख्या 153/3 रकबा 1.076 हैक्टर भूमि कब्जानुसार पुख्ता तरमीम करें। आदेश प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

आदेश आज दिनांक 17.11.2022 को लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
दिनांक ::–

क्रमांक/सरिश्ता/2022/

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:48:13 IST
Reason: SelfAttested

आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूँ ... लेख है कि आदेश के अनुसार प्रार्थी की आराजी की पुख्ता तरमीम करना ... सुनिश्चित करें।

सहायक कलक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़